

तारीख
हुसम

हुसम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/11/2022 चवावली पैश दुरि। प्राची वकील
 उपस्थित। मूल वाद में दिनांक 15/12/21
 की प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय
 कार्यवाही ही चुकी है। उक्त प्राथना
 पत्र चवावली में सहवन में लिखना
 रह गया प्रतीत है। धारा
 152 CPC की शक्तियों का प्रयोग
 करते हुए आज संबंधित डिमा जाता
 है। अपाथीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय
 कार्यवाही की जाती है। प्राची की
 एक पक्षीय बहस चुनी गई। प्राची
 व अपाथीगण दोनों ही इस विवादगत
 भूमि ख. न. 211, 212 ग्राम मैलाणा
 के सहकारीदार हैं। एक सहकारीदार
 के विरुद्ध दूसरे सहकारीदार को
 अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध
 करना न्यायालय उपस्थित जमीन समझता
 है। उपमदूरथा मामला सुविधा का
 संतुलन व अप्रतनीय भाते के लिफ्ट पर
 प्राची वकील प्राथना पत्र के तर्कों
 को सिद्ध नहीं कर पाए। लिहाजा प्राची
 पत्र अनंगित द्वारा 212 R7 Act 1981
 खारिज डिमा जाता है। चवावली में मूल
 मुआद ही कर नवद से कम हिकट
 दाखिल दाखल है।

B

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, धार